an>

Title: Need to include certain castes in the list of Scheduled Castes/Scheduled Tribes of Uttar Pradesh and provide all facilities to them.

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : उत्तर प्रदेश में तेरह जिलों में (2003) में खरवार, चिरो, मॉझी, गौंड लगभग दस जाति अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया ।

वह जनजाति आदिवासी पंचायती चुनाव में आरक्षण् नहीं मिलने के कारण अभी तक चुनाव लड़ने से वंचित है ।

वहीं उन जिलों के आदिवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में बी.ए. एवं बी.एड. तक फीस रोक देने से उच्च संस्थानों में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों का सभी विकास कार्य रूका हुआ है । इनका जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार एवं अधिकारियों के द्वारा खरवार, चिरो, मांझी, बैंगा-गौंड इत्यादि जातियों का जाति प्रमाणपत्र नहीं बन रहा है ।

मेरा लोक सभा क्षेत्र 80 राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में पड़ता है । यह कि लोक सभा क्षेत्र की एक विधान सभा चकिया, चन्दौली जिला में पड़ता है । एक ही लोक सभा क्षेत्र में एक ही जाति के लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में आता है, जो कि उचित नहीं है ।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उपरोक्त जातियों को एक ही श्रेणी के अंतर्गत किया जाये तथ 7.5 प्रतिशत आरक्षण नौकरी तथा जनप्रतिनिधित्व में देकर दलित आदिवासियों का उत्थान किया जाये । ग्राम पंचायतों, विधान सभा एवं लोक सभा, नगर पालिका इत्यादि के चुनाव तथा उच्च शिक्षा में रूकी हुई आदिवासियों की फीस उत्तर प्रदेश सरकार से दिलवाने का आदेश निर्गत करें।